5 COURT भारत पाँच FIVE

5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(49)

# माननीय राजस्व, मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग - 920 - III-16

प्र.क्र. / /2016 निगरानी

कन्हैया लाल पुत्र हरगोविन्द्र ब्राह्मण निवासी–ग्राम साखनोर परगना कौलारस जिला – शिवपुरी म.प्र.
..........आवेदक

बनाम

1. सरदार सिंह पुत्र हल्का दांगी
2. गोपाल सिंह पुत्र तोरन सिंह दांगी
3. तोफान सिंह पुत्र सुरतिया दांगी
4. हल्के पुत्र चिंटू दांगी
5. लालाराम पुत्र चिन्टु दांगी
6. किशनवीर सिंह लोदी पुत्र अनरत सिंह जाति लोधी
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र अनरत सिंह जाती लोधी
8. कोमलिया पुत्र स्व. शंकरिया समस्त निवासीगण साखनौर परगना कौलारस जिला शिवपुरी म.प्र.
9. पुष्पाबाई जैन पत्नी रमेश चन्द्र जैन निवासी साखनौर हाल निवासी चिंतामणि बकील के पीछे चौधरी मौहल्ला परगना कौलारस जिला शिवपुरी

......अनावेदकगण

प्रस्तुत
दि. 16-3-2016
समय 2-45 PM
R.S. Srivastava
16-3-16
(रामशरण श्रीवास्तव Advocate)

16-3-16

निगरानी अन्तर्गत धरा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.09.1993 पारित द्वारा नायब तहसीलदार कौलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 10/90–91 अ. 46 कन्हैया लाल पुत्र हरगोविन्द्र बनाम शंकरिया राजेन्द्रसिंह

श्रीमान जी प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-920-तीन/16 **जिला** - शिवपुरी

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02/04/2019 | आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी कौलारस जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>सदस्य<br><br>**अनुविभागीय अधिकारी कौलारस** | |